न्यायालय जिला कलक्टर सीकर

पीठासीन अधिकारी कमर उल जमान चौधरी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 37 / 2016 / अपील

भंवर लाल उम्र पुत्र गोरधन जाति बलाई निवासी ढ़ाणी स्वंय तन केशर नगर (कोलिडा) तहसील व जिला सीकर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1. नायब तहसीलदार सीकर तहसील व जिला सीकर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सीकर जिला सीकर (राज.)

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः–

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री दयाशंकर पंवार, सरकारी पैरोकार, रेस्पो. की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 14.09.2016 न्यायालय नायब तहसीलदार, सीकर पीठासीन अधिकारी श्री चन्द्रशेखर महर्षि पत्रावली संख्या 31 / 2016 बउनवानी सरकार बनाम भंवर लाल अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 16.07.2024

1. अपीलांट **भंवरलाल** की ओर से यह अपील वकील **श्री प्रभातीलाल** द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत नायब तहसीलदार सीकर के निर्णय दिनांक 14.09.2016 प्रकरण संख्या 31 / 2016 बउनवानी **सरकार बनाम भंवरलाल** अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य सक्षेप में निम्न प्रकार से हैं:–

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

(1) अपीलान्ट कृषि भूमि खसरा सख्या 987, 988, 1028 (ढ़ाणी) वाके वर्तमान राजस्व ग्राम केशर नगर पुराना राजस्व ग्राम कोलिड़ा तहसील व जिला सीकर का खातेदार है। उक्त कृषि भूमि जवाबदाता की पैत्रिक कृषि भूमि एवं आवासीय गुवाड़ी है। जिसके पश्चिम की ओर सींवा जोड़ खसरा संख्या 1029/2145 की भूमि है। उक्त खसरा संख्या 1029/2145, 1028 तथा हल्का पटवारी द्वारा गलत रूप से बताया गया अतिक्रमित खसरा नम्बर 1029 की 600 वर्गमीटर भूमि सहित सम्पूर्ण गुवाडी अर्सा करीब 50 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व से बनी हुई है। जिस पर सदैव से ही अपीलान्ट एवं उसके पूर्वजों का कब्जा रहा है।

(2) हल्का पटवारी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सम्वत 2073 में मकान निर्मित करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जबकि अपीलान्ट के पूर्वजों के समय से ही आवासीय गुवाड़ी बनी हुई है। जिसमे अपीलान्ट निरन्तर मय परिवार आवास निवास करता रहा है। अभिनव सैटलमेंट के दौरान नया राजस्व नक्शा गलत बना दिया जाना भी पूर्णतया सम्भावित है। जिस कारण अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का नोटिस जारी किया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया एवं अपीलाट को जारी किये गये नोटिस में अंकित अतिक्रमित खसरा संख्या 1029 रकबा 0. 68 में से 0.06 हैक्टेयर भूमि पर पूर्वजों के समय से आवासीय गुवाड़ी होने का निवेदन किया एवं पुराना नक्शा अर्थात प्रथम सैटलमेंट के समय बनाया गया नक्शा के आधार पर अपीलांट की खातेदारी की भूमि एव खसरा संख्या 1029 की भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाने व साक्ष्य लेखबद्ध करके ही प्रकरण को निर्णित करने की प्रार्थना की एवं यदि अपीलाट की आवासीय गुवाड़ी का कोई हिस्सा वर्तमान खसरा संख्या 1029 में आता हो और उस पर पूर्वजो के समय से ही अज्ञानतावश अपनी खातेदारी की भूमि होने के आधार पर आवासीय गुवाड़ी का निर्माण किया गया हो तो उक्त निर्माण व कब्जा 50 वर्ष से भी अधिक पुराना होने के कारण नियमन करने के लिए प्रकरण नियमन कमेटी के समक्ष प्रेषित करने की प्रार्थना भी की है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय पारित करके बेदखली का आदेश दे दिया है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अलावा अन्य कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य नहीं थी। जिससे यह प्रमाणित हो कि,

न्यायालय जिला कलक्टर ★ सीकर (राज.) ★

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

अपीलान्ट ने वर्तमान खसरा संख्या 1029 में 600 वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण करके मकान संवत 2073 में निर्मित किया हो। ना ही हल्का पटवारी की रिपोर्ट में मकान व गुवाड़ी को नया अंकित किया गया था। अपीलांट के पूर्वज इस गुवाड़ी में आवास निवास करते थे। जहां पर कच्चे मकान थे। उसके पश्चात सन् 1983 में अपीलांट ने पक्के आवासीय मकानों का निर्माण किया था। जो कि 30 वर्ष से भी अधिक समय पुराना निर्माण है।

(4) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने दिनांक 08.08.2016 को जवाब प्रस्तुत किया था एवं जांच करने व साक्ष्य लेखबद्ध करने का भी निवेदन किया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.09.2016 को बहस सुनी जाना अंकित करके निर्णय पारित कर दिया। जबकि उक्त दिनांक को बहस सुनी ही नहीं गई थी।

(5) अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 31/2016 बउनवानी सरकार बनाम भंवरलाल में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2016 को खारिज किया जाने की कृपा करें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो. की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए।

3. हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। वकील अपीलांट ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि, पटवारी हल्का द्वारा जिस भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण दर्शाया गया है उस भूमि पर पूर्वजों के समय से ही आवासीय गुवाड़ी बनाकर आवास–निवास कर रहे हैं। भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान नया राजस्व नक्शा गलत बना दिया जाना भी संभावित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत जारी नोटिस के पश्चात अपीलांट द्वारा जवाब पेश किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार नपती करवाये जाने का निवेदन कर पत्रावली में आगामी कार्यवही किये जाने का निवेदन किया गया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

जवाब पेश करने उपरान्त न तो अपीलांट के बयान लेखबद्ध किये और न ही विवादित भूमि की नपती करवायी गई तथा अपीलांट को सुनवायी का पूर्ण अवसर दिये बिना ही अपीलांट के विरूद्ध बेदखली आदेश दिनांक 14.09.2016 पारित कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार सीकर द्वारा अपीलांट के विरूद्ध पारित बेदखली आदेश दिनांक 14.09.2016 निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो. की ओर से उपस्थित सरकारी पैरोकार ने कथन किया कि, अपीलांट भंवरलाल ने ग्राम केशरनगर के खसरा नम्बर 1029 रकबा 0.68 हैक्टेयर किस्म चारागाह में से 0.06 हैक्टेयर भूमि पर मकान बनाकर अतिक्रमण किया है। अपीलांट को तत्कालीन तहसीलदार द्वारा अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत नोटिस जारी कर तलब किया गया। अपीलांट के द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार सीकर के समक्ष संतोषप्रद जवाब, ठोस साक्ष्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर अपीलांट के विरूद्ध बेदखली आदेश दिनांक 14.09.2016 पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा ग्राम केसरनगर के खसरा नम्बर 1029 रकबा 0.68 हैक्टेयर किस्म चारागाह में से 0.06 हैक्टेयर भूमि पर मकान बनाकर अतिक्रमण किया जाना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध हल्का पटवारी की रिपोर्ट से प्रमाणित होता है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर ★ सीकर (राज.) ★

4. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया जिससे निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं:–

   (1) ग्राम केशरनगर की भूमि खसरा नम्बर 1029 रकबा 0.68 हैक्टेयर किस्म चारागाह है, जो कि राजस्व रिकार्ड से प्रमाणित है।

   (2) अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट में ग्राम केशरनगर की भूमि खसरा नम्बर 1029 रकबा 0.68 हैक्टेयर किस्म चारागाह में से 0.06 हैक्टेयर पर अपीलांट द्वारा मकानात बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होना बताया गया है।

   (3) वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किया है कि जिस भूमि पर हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट का अतिक्रमण दर्शाया गया है उस भूमि पर अपीलांट पूर्वजों के समय से ही आवासीय गुवाड़ी बनाकर आवास निवास कर रहा है।

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान नया राजस्व नक्शा गलत बना दिया जाना भी संभावित है। उक्त कथनों के विरूद्ध रेस्पो. की ओर से उपस्थित पैरोकार द्वारा कथन किया गया कि यदि भू–प्रबंध की कार्यवाही के दौरान राजस्व नक्शा गलत बनाया गया है कि तो अपीलांट सक्षम न्यायालय में दुरुस्ती का वाद प्रस्तुत कर चाराजोही कर सकता है। परन्तु सरकारी पैरोकार ने राजस्व नक्शा सही होने का कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है।

न्यायालय जिला कलक्टर ★ सीकर (राज.) ★

(4) अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही के दौरान अपीलांट को सुनवायी का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं दिया गया है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट **आंशिक स्वीकार** की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवायी एवं साक्ष्य के समुचित अवसर प्रदान कर विधिक कार्यवही करते हुए विवादित भूमि की नपती करवाकर राजस्व रिकार्ड की पूर्ण जांच कर गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

6. निर्णय आज दिनांक **16.07.2024** को खुले न्यायांलय में सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर, सीकर

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर